RNI No. : DELBIL/2021/79984 ₹ 20

सीमा संघोष

अगस्त 2023

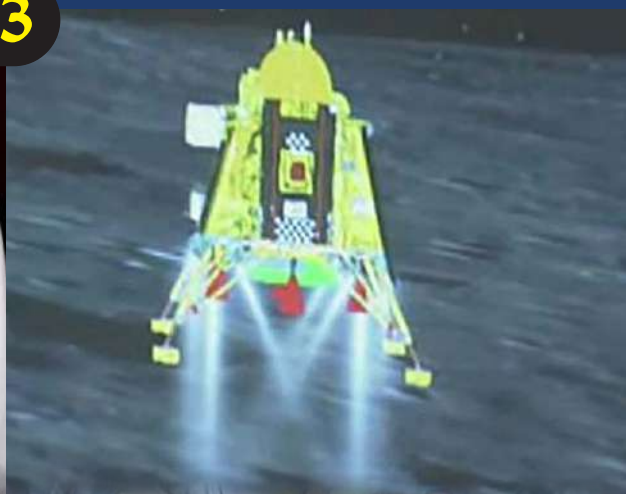

चन्द्रयान-3 के चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग की इसरो के वैज्ञानिकों एवं समस्त देश वासियों को शुभकामनाएं

नूंह हिंसा

76 वें स्वतंत्रता दिवस की झलकियां

संरक्षक – प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा
मुख्य सलाहकार – ब्रिगेडियर कपिल देव मल्होत्रा
प्रबंध संपादक – श्री रविन्द्र अग्रवाल

मुख्य संपादक – दीपांशु गर्ग
कार्यकारी संपादक – डा. प्रदीप कुमार
संपादक मंडल – श्री राजीव रंजन
– प्रो. चन्द्रवीर सिंह भाटी
– श्री अयोध्या प्रसाद
– डा. राहुल मिश्र

डिजिटल प्रमुख – धीरज झा
डिजाइनिंग – वीरेन्द्र

प्रधान कार्यालय

सीमा संघोष
43/21, तृतीय तल, ईस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली-110008, फोन : 9811702522
website : https://seemasanghosh.org/menu.php
e-mail : sanghoshofficial@gmail.com

Published & Printed by Vinay Gupta
On behalf of SEEMA SANGHOSH
Printed at B K offset F- 93,
Panchsheel Garden, Navin Shahdara
Delhi-110032. Publish From 43/21
3rd Floor, East patel Nagar, New
Delhi 110027

प्रकाशकों और लेखकों ने सीमा संघोष की सामग्री के संबंध में अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं। प्रकाशकों की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर कोई भी कॉपीराइट कार्य किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहां उपयोग की गई छवियां सार्वजनिक डोमेन से हैं, उनके संबंधित स्वामियों की हैं और केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए यहां उपयोग की जा रही हैं। यह पत्रिका गैर-व्यावसायिक, गैर लाभदायक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य लेकर प्रस्तुत की गयी है।

इस अंक में

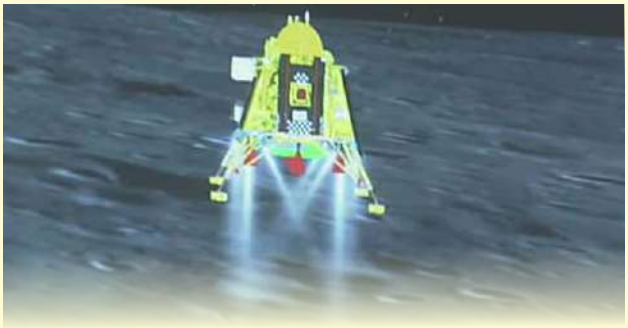

मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं : चंद्रयान-3 – देवेन्द्र पुरोहित -05

नूंह हिंसा से क्या किसी "टूल किट" का इशारा मिलता है?
– राजीव रंजन प्रसाद -07

अमृत महोत्सव से अमृत काल की यात्रा...- डॉ. राहुल मिश्र-10

- मूल रूप से हिन्दू ही थे भारतीय मुसलमान
-डॉ. प्रदीप कुमार 13
- जैव विविधता अधिनियम – खुशबू चौधरी 16
- अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2023
– केशव कुमाार चंदेल.....18
- अटारी यात्रा – मुकेश कुमार उपाध्याय.....20
- सीमा संवाद श्रृंखला रिपोर्ट – राघवेन्द्र नाथ त्रिपाठी.....23

संपादकीय.....

सीमा संघोष के सभी पाठकों को बधाई कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने के साथ ही चंद्रयान-3 मिशन ने इतिहास रच दिया है। भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश है, यह बात महत्व की इसलिए भी हो जाती है क्योंकि स्वयं को प्रगतिशील कहने वाले बड़े बड़े और समर्थ देश भी अब तक यहाँ पर अभियान संचालित करने को दुस्साहस मानते रहे हैं। यह सफलता भारत को एक पल में ही वैश्विक ताकत बना देती है, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व अधिक लागत और अधिक शक्तिशाली रॉकेट रूस की ओर से इसी लक्ष्य के साथ भेजा गया था कि वह चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। काश कि रूस का लूनर मिशन भी सफल होता। यह विज्ञान है कोई सौ मीटर की दौड़ नहीं है कि क्षमता का अनुमापन किसने पहले लाल फीता छू लिया, इससे हो जाए। यह ठीक है कि राष्ट्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, होती रहनी चाहिए, लेकिन ज्ञान साझा विरासत होती है। मनुष्यता इसीलिए आगे बढ़ी है कि ज्ञान ने सीमाओं को नहीं माना और बेधड़क प्रसारित होता रहा है। कितने वैज्ञानिकों की कितनी मेहनत, कितनी सोच और आगे होने वाला कितना शोध बस एक तकनीकी खराबी ने लील लिया। हानि केवल रूस की नहीं है यह हमारी और आपकी भी है, जो कुछ जान पाते उससे इस समय के लिए तो वांचित रह गए। आँसू तो वहाँ भी छलकें होंगे यह दीगर बात है कि तस्वीरें नहीं आई। अब भारत का चंद्रयान सफल हुआ है तो हम गर्व से परिपूर्ण हैं, होना भी चाहिये। यह क्रमिकता बनी हुई है और अब हमारा आदित्य एल-वन मिशन भी सफलतापूर्वक सूरज की ओर बढ़ चला है। आज से हजारों साल पहले सूर्यसिद्धांत रच देने वाला यह देश सूर्य को ले कर पुनः नवीन प्रतिस्थापनाएं दे सकेगा ऐसा पूर्ण विश्वास है।

भारत की वैज्ञानिक सफलताओं के बीच हमारे पड़ोसी देश विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन का मीडिया जहरीला हो उठा तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लेकिन स्वयं को ज्ञान-विज्ञान-समानता और प्रगति का ठेकेदार बताने वाला पाश्चात्य जगत भी खिसियानी बिल्ली बन कर खंबा क्यों नोच रहा था, यह बात विवेच्य है। बीबीसी पर एक एंकर ने किसी विशेषज्ञ से प्रश्न किया कि 'भारत में अब भी लाखों लोगों के पास शौचालय नहीं हैं ऐसे में इस गरीब देश को चाँद पर जाने की आवश्यकता क्यों है?' इसी देश की मीडिया का एक एंकर तो अपने मानसिक दीवालियेपन की पराकाष्ठा पर जा पहुंचा जहाँ वह कहता है कि 'चंद्रयान-3 की सफलता के बाद ब्रिटिश टैक्स पेयर के पैसे से भारत को दी जाने वाली मदद बंद कर देनी चाहिए'। टिप्पणीयां और भी हैं लेकिन कमोबेश इसी तरह की हैं अतः इनपर बात कर लेना उचित है। भारत अब ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह उपलब्धि हमने अपनी स्वतंत्रता के पिचहत्तर साल होने से पहले ही प्राप्त कर ली थी। यह उपलब्धि बताती है कि ब्रिटेन कभी भी एक धनाड्य देश नहीं था, क्षमतावान और प्रतिभावान भी नहीं। एक शोध बताता है कि भारत से 'पैतालीस ट्रिलियन डॉलर से अधिक' लूटने के बाद कथित ब्रिटेन अपने नाम के आगे "गेट" लगा कर इतराता फिरता था। भारत को लूटने खसोटने के बाद भी ये नृशंस लुटेरे अपने टैक्स पेयर का दंभ भरते हैं? यदि भारत से की गई लूट का चौथाई भी ब्रिटेन लौटाने की सोच ले तो पाकिस्तान से भी बदतर हालात में खड़ा हो जाएगा। इस देश और इसके दंभियों को ऊँची आवाज में बताना होगा कि भारत मदद लेने वाला नहीं देने वाला राष्ट्र है। यही भारत है जिसकी मिट्टी से सम्बद्ध व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, यही भारत है जिसके एक उद्योगपति ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खरीद किया जो भारतीय भूभाग को लूटने-कब्जाने के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं ब्रिटेन की महारानी का ताज भी मांगे-तांगे और चोरी का है जिसके मध्य में जगमगाता कोहीनूर सौ-फीसदी भारतीय है। अर्थात् यह कि अब समय आ गया है भारत पराधीनता के कारण हुई आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करे अथवा कम से कम उन विरासतों को तो वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जिसे अंग्रेज लूट कर ले गए और अब दंभ से अपने संग्रहालयों की शोभा बनाए बैठे हैं। इस विमर्श के साथ एक बार फिर भारतीय अंतरिक्ष अभियानों की सफलता पर हार्दिक बधाई।

आपका ही
राजीव रंजन प्रसाद

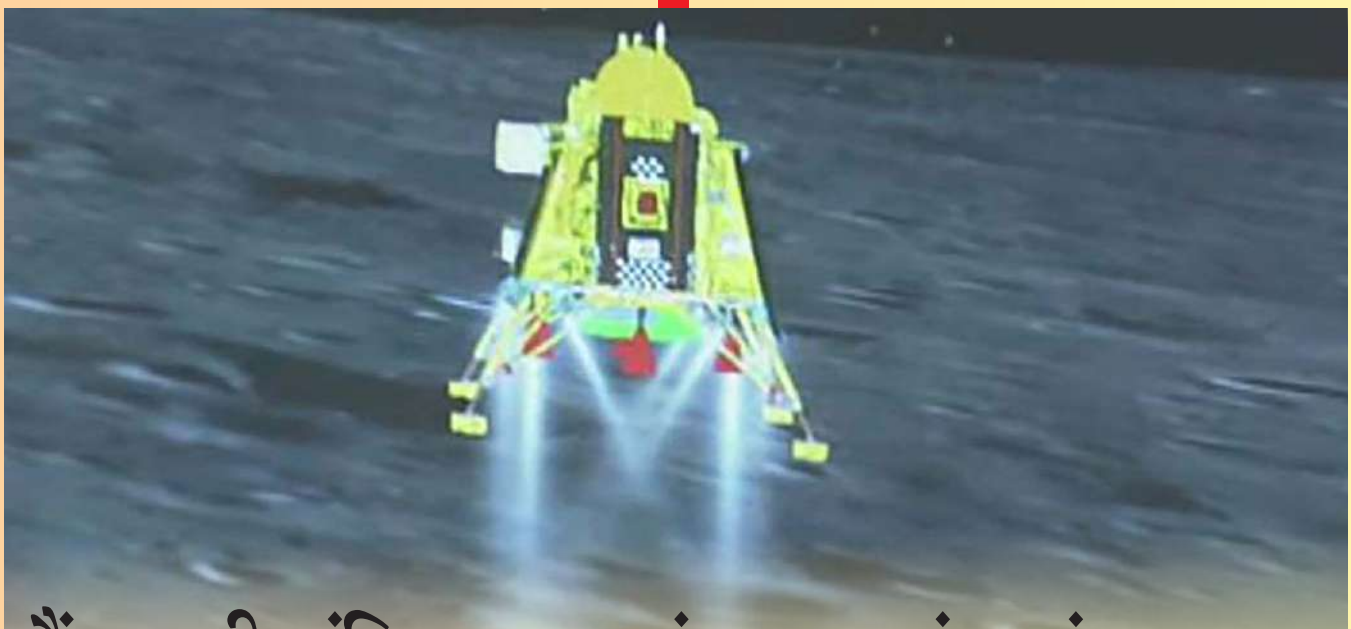

मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं : चंद्रयान-3

देवेन्द्र पुरोहित
व्यवसायी और स्वतंत्र लेखक

चन्द्रयान -3, 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 06.04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया।

चंद्रयान–3 ने बुधवार 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान–3 ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5 बजकर 44 मिनट पर ऑटोमैटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा किया।

शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान–3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा– मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। अब रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा। ISRO ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 41वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग हुई।

इस मिशन के कामयाब होने के बाद साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा– अब चंदामामा दूर के नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा– यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृतवर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं।

वहीं ISRO के डायरेक्टर एस. सोमनाथ ने कहा– अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं।

चंद्रयान–3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। इस ड्यूरेशन को '20 मिनट्स ऑफ टेरर' यानी 'खौफ के 20 मिनट्स' कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम 5 बजकर 44 मिनट पर शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किमी दूर था। उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई।

चंद्रयान–3 चाँद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान–2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है।

चंद्रयान–3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (शार), श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई, 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2.35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 06.04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है।

इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया।

चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में, इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क –3 (एलवीएम 3) नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान–2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर, 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। लेकिन चाँद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था।

इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थीं, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चाँद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएँ थीं।

विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन (LUPEX) के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन (चंद्रयान–3) करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग (एस्ट्रैक) एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान है।

चंद्रयान की बात करे तो चंद्रयान 3 के तीन प्रमुख हिस्से हैं – प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर।

प्रोपेलसन माड्यूल : इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल, संचार रिले उपग्रह की तरह

व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किमी ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुँच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर के अलावा, चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रल) और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रो–पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट अर्थ (SHAPE) नामक एक पेलोड भी ले गया है।

लैंडर : चंद्रयान–2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें पांच 800 न्यूटन इंजन थे और पांचवां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान–3 के लैंडर में केवल चार थ्रॉटल–सक्षम इंजन है इसके अतिरिक्त, चंद्रयान–3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर (एलडीवी) से लैस है चंद्रयान–2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE, चेस्ट), लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेसमिक ऐक्टिविटी (ILSA) व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लेंगमुइर प्रोब (RAMBHA-LP) नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है।

रोवर – प्रज्ञान 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोग्राम वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स–रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS) औरलेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) नामक पेलोड से युक्त है।

नूंह हिंसा से क्या किसी "टूल किट" का इशारा मिलता है?

राजीव रंजन प्रसाद
उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण) एनएचपीसी लि.

सांप्रदायिकता किसी भी हाल में अच्छी नहीं लेकिन जब हिंसा किसी टूल किट का हिस्सा प्रतीत हो तो उसका वर्गीकरण क्या होना चाहिए? नूंह–मेवात में जो हिंसा हुई उसके घटनाक्रमों पर बात करने का समय अब समाप्त हो गया, इसपर समाचार माध्यमों ने बहुत हो हल्ला भी मचाया हुआ है। घटनाक्रम का लब्बोलुआब यह है कि हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को एक शोभायात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के कुछ ही दूर पहुंचने पर पथराव और फायरिंग की खबरें सामने आने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भयावह हिंसा हुई जिसमें दो होम गार्ड सहित 6 लोगों की जान चली गई।

यह समय विवेचना का है जिससे सतर्कताएं बनी रहें और सत्य सामने आ सके। इसके लिए पहले घटना क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक पहलू को हमें समझना होगा। वर्ष 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नूंह, इस समय देश का सबसे पिछड़ा जिला है। इस रिपोर्ट का सत्यापन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की मुसलमानों की स्थिति पर प्रस्तुत रिपोर्ट से भी हो जाता है जिसके अनुसार मेवात के मुसलमान देशभर के सबसे पिछड़े हैं। इस आलोक में यह रेखांकित करें कि नूंह की एक

वर्तमान में हम जिस नूंह की बात कर रहे हैं वह हरियाणा राज्य से ही सम्बद्ध है, वर्ष 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग कर मेवात को नया जिला बनाया गया था, वर्ष 2016 में नाम बदलकर जिले का नाम नूंह कर दिया गया।

अन्य विशेषता यह भी है कि यहाँ की आबादी का 79 प्रतिशत मुसलमान हैं। इस मुसलमान बहुसंख्या के बाद भी पिछड़ापन क्यों? देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों को पिछड़ा माने जाने की परिपाटी रही है, आश्चर्य होता है कि मुसलमान बाहुल्य जिला जोकि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से सम्बद्ध है इतना कैसे पिछड़ सकता है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण अंतर्निहित हैं?

नूंह के इस पिछड़ेपन को नीतिआयोग की रिपोर्ट के इस अंश से समझते है जो उल्लेखित करता है कि "शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित विकास संकेतक जिले भर में गंभीर स्थिति का संकेत देते हैं। औसत आंकड़े पुरुषों के लिए कम साक्षरता दर दर्शाते हैं जो महिलाओं के बीच बदतर है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण, सांस्कृतिक लोकाचार काफी रूढ़िवादी है, जहां महिलाओं का अपने घरों से बाहर जाना प्रतिबंधित है। शिक्षा को महत्वपूर्ण काम नहीं माना जाता है। शिक्षा यहां के निवासियों की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है, इसलिए शिक्षा से जुड़े रोजगार यहां के लोगों को नहीं मिल पाते हैं।

स्थानीय आबादी के लिए केवल खेती ही सबसे संभावित व्यवसाय विकल्प है, सरकारी और निजी नौकरियां काफी कम हैं।" अर्थात् मुसलमान बहुसंख्या से पिछड़ेपन का कोई सीधा संबंध नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो साउदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया जैसे देश वैश्विक प्रगति के पैमाने पर इतना आगे न होते। अवश्य ही कट्टरता, अशिक्षा जैसे पैमाने यहाँ काम कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान का उदाहरण लेना चाहिए। भारत से धार्मिक आधार पर अलग देश

होने के बाद आज उसकी आर्थिक प्रगति कैसी और कितनी है? पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर देख लीजिए, वहाँ कट्टरता की अनुगूँज सुन लीजिए। नूंह की कुछ इसी कसौटी में विवेचना की जानी चाहिए।

अंतर देखिए कि गुरुग्राम की परकैपिटा इनकम 3,16,512 रुपये है, जबकि नूंह की केवल 27,791 रुपये, लेकिन क्यों? यहाँ केवल 20 प्रतिशत घरों में चूल्हा गैस से जलता है, अब भी मात्र 60 प्रतिशत घरों में पीने का पानी पाइप से पहुंचता है। यहाँ अब भी महिलाएं औसतन चार बच्चे पैदा करती है। यही नहीं सर्व शिक्षा अभियान के इस दौर में अब भी यहाँ की केवल 49 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं। आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहा है कि मेवात में नौकरी के अवसरों की कमी युवाओं को अवैध गतिविधियों में संलिप्त कर रही है। एनसीआर में हाई–वे गैंग के अधिकतम सरगना इसी परिक्षेत्र से होते हैं। अभी बहुत समय नहीं हुआ जबकि इसी क्षेत्र की पहचान नए जामताड़ा के रूप में की गई थी, कई युवा ओएलएक्स घोटालों से लेकर सेक्सटॉर्शन तक अनेक साइबर अपराधों की ओर प्रेरित होते देखे गए हैं।

नूंह में हुई हाल की हिंसक घटनाओं ने मेवात को नए सिरे से जानने के लिए हमें बाध्य किया है। 'द ओरल ट्रेडिशन

वर्ष 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नूंह, इस समय देश का सबसे पिछड़ा जिला है। इस रिपोर्ट का सत्यापन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की मुसलमानों की स्थिति पर प्रस्तुत रिपोर्ट से भी हो जाता है जिसके अनुसार मेवात के मुसलमान देशभर के सबसे पिछड़े हैं।

ऑफ मेवात' शीर्षक से शैल मायाराम का एक शोध प्रपत्र (1988) है, जिसके अनुसार मेवात का कुल क्षेत्रफल 7910 वर्ग किलोमीटर है जिसके अंतर्गत राजस्थान के कुछ हिस्से, हरियाणा के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। वर्तमान में हम जिस नूंह की बात कर रहे हैं वह हरियाणा राज्य से ही सम्बद्ध है, वर्ष 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग कर मेवात को नया जिला बनाया गया था, वर्ष 2016 में नाम बदलकर जिले का नाम नूंह कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि नूंह एक परिक्षेत्र भर है जबकि "मेव" एक पृथक पहचान है। उद्धारित प्रपत्र हमें बताता है कि मेवात के रहवासी स्वयं को राम, कृष्ण और अर्जुन का वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि वे मुसलमान होने के बाद वह अनेक हिन्दू रीतिरिवाजों का अब भी पालन करते रहे हैं। कैसा विरोधाभास है कि स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से सम्बद्ध मानने वाले लोगों की आज धार्मिक परिपाटी में कैसा भी परिवर्तन आया हो, क्या वह साम्प्रदायिक स्वरूप ले सकता था? मेव इतिहासकार सद्दीक अहमद मेव का यह उल्लेख पढ़ने के लिए मिला जिसके अनुसार "मेवों का हिंदू से मुस्लिम में रूपांतरण सदियों पहले चरणों में हुआ था, लेकिन 70 के दशक के अंत तक कई मेव मुसलमानों के हिंदू नाम होते थे, जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि हुआ करते थे। जब 1978 में लंबे समय के बाद भारत–पाकिस्तान क्रिकेट संबंध फिर से शुरू हुए, तो यहां के लोग पाकिस्तानी क्रिकेटरों से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम मुश्ताक, सादिक, इमरान, जावेद और जहीर रखना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पहले से ही हिंदू नाम थे उनमें से कुछ ने मुस्लिम पहचान के लिए अपना नाम बदल लिया।"

हर सांप्रदायिकता की एक जड़ होती है उसकी पड़ताल अवश्यंभावी है। नूंह में जो कुछ हुआ वह केवल वर्तमान नहीं है, इसके पीछे सतत् चला आ रहा पहचान का, धर्म का और राजनीति का संघर्ष है। इतिहास के बीते पन्ने पलटते हुए बात मुगलों के आरंभिक दौर तक जा पहुँचती है। खानवा का चर्चित युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवात के नवाब हसन खान ने बाबर के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। बाबर की जीत हुई और उसने हसन खान की क्रूरता से हत्या करवा दी। बाबर के लिए शत्रु केवल शत्रु था, हिन्दू या मुसलमान नहीं। मेवात में धार्मिक दृष्टिकोण तब से अपनी पैठ बनाने लगा जबकि वर्ष 1896 में अलवर में अंजुमन ए इस्लाम का गठन हुआ जिसने इस्लामिक शिक्षा का मेवात में बढ़ा चढ़ा कर प्रसार किया। मेवात अपने इतिहास के साथ आगे बढ़ता हुआ उस दौर तक पहुंचता है जब स्वतंत्रता आंदोलन में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अपने डैने धसा

चुका था। मुस्लिम लीग ने आजादी के आंदोलन के बीच भी अलगाववादी दृष्टिकोण भरना आरंभ कर दिया था जिसका लाभ अंग्रेजो ने उठाया और इस तरह धार्मिक दरारें चौड़ी होने लगीं, मेवात भी इससे अछूता नहीं था।

वर्ष 1920 के मध्य क्षत्रिय सभा ने आगरा–मथुरा के आसपास घर वापसी अभियान चलाया था जिसके तहत नव–मुसलमान अपने पूर्व धर्म की ओर लौटने लगे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के शुद्धि आन्दोलन से भी अनेक मुसलमान वापस अपने पूर्व धर्मों में लौटने लगे थे। इस घरवापसी अभियान को मेवात में पहुँचने से रोकने के लिये मौलाना शाह इलियास ने सैकड़ों मदरसे खड़े किए, तबलीगी जमात का आरंभ किया। लोगों को इस्लामी तौर तरीकों से रहने और उसका सख्त अनुपालन करने के लिए बाध्य किया गया। वर्ष 1923 के आसपास इस क्षेत्र में अंजुमन–ए– खादिम–उल–इस्लाम की पैठ होती है। इस नई दस्तक ने पहले तो उर्दू का प्रसार किया साथ ही सूद लेना हराम बता दिया। क्षेत्र के हिन्दू महाजन गरीब मुसलमान काश्तकारों को ब्याज पर रुपये उपलब्ध कराते थे, यह व्यवस्था अब बंद हो गई जो अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुई। इसी क्रम में लगान की बढ़ी हुई दर को ले कर अलवर के राजा के विरुद्ध एक सामान्य असंतोष को इस तरह भड़काया गया कि वर्ष 1929–30 के आसपास मेवात सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस उठा।

वर्ष 1932 में मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा ने उग्र रूप ले लिया। वस्तुतः दलित मेव मुसलमानों के खेतों में काम करते थे परंतु जैसे जैसे तबलीगियों की इस्लामीकरण को ले कर कट्टरता प्रसारित हुई दोनों संप्रदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसी वर्ष एक और घटना महत्व की हुई जबकि हरसौली गाँव में हिन्दू महाजनों को पकड़ लिया गया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए अलवर स्टेट ने अपनी सेना भेज दी। राज्य का यह कदम भी सांप्रदायिक हिंसा के रूप में बदल गया। ठीक ऐसी ही घटना अगले वर्ष अर्थात् वर्ष 1933 को भी हुई जबकि मेव मुसलमानों द्वारा पकड़ लिए गए हिन्दू महाजनों को छुड़ाने के लिए स्टेट की सेना को कदम उठाने पड़े थे, लगभग सौ लोगों की इस कारण हुई झड़प में जान चली गई। यह ठीक है कि स्वतंत्रता के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए, उनमें से मेव भी हैं। जो घटनाक्रम सामने आता है उसके अनुसार 19 दिसंबर 1947 को, नोआखली के दंगे शांत करवाने के बाद महात्मा गांधी मेवात के घसेरा गांव पहुंचे थे। यहाँ गांधी जी ने मेव मुसलमानों से पाकिस्तान न जाने की अपील की। इस अपील का असर यह हुआ कि मेव मुसलमान भारत में ही रह गये। यह बात भी पूर्ण सत्य नहीं है, मेवात की दो तिहाई से अधिक आबादी पाकिस्तान चली गई थी। पहले लगभग 3900 गांवों में मेव मुसलमानों की बसाहट थी जो बाद में सिमट कर 1250 गांवों में रह गए थे। जो भी पढे लिखे मेव मुसलमान थे, उन्हें नए नवेले पाकिस्तान में अपना भविष्य बेहतर लगा इसलिए उनमें से अधिकांश तब पाकिस्तान चले गए थे।

वैमनस्य ने समय समय पर अपना काम किया है। तबलीगी सोच ने अपने प्रभाव का आजादी से पहले से ले कर वर्तमान तक समुचित विस्तार किया है, यहाँ तक कि बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद इस क्षेत्र में कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी और इससे भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था, इसलिए यहाँ हो रही हिंसा को एकांगी हो कर नहीं देखा या समझा जा सकता है। इस हिंसा में कुछ उकसावों की बात भी सामने आई है, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। क्या हर उकसावा दंगे में बदल जाता है? इस देश में "पंद्रह मिनह के लिए पुलिस को हटा लो" जैसा उकसावा देने वालों की भी कोई कमी नहीं। इसलिए दंगों के पीछे केवल उकसावा काम नहीं करता बल्कि उसकी सुनियोजितता होती है जिसे बहानों से ढका जाता है। अवश्य उनपर कार्यवाही होनी चाहिए जो अपने कृत्यों से वातावरण को जहरीला बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज दंगों के पीछे टूल किट भी अपनी भूमिका बखूबी निभाती दिखती है। यही कारण है कि नूंह हिंसा के दिल्ली हिंसा की तरह पूर्व नियोजित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। नूंह हिंसा में भीड़ के पास भारी मात्रा में हथियार होना, फायरिंग करना, पथराव के लिए भारी मात्रा में पत्थर का पहले से जमा होना यहाँ तक कि उनके द्वारा पुलिस बल पर भी हमला करना संकेत देता है कि हमें इस "टूल किट" को ठीक से समझना होगा।

अमृत महोत्सव से अमृत काल की यात्रा...

आचार्य अनामय (डॉ. राहुल मिश्र)

(अध्यक्ष, हिंदी विभाग केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (सम विश्वविद्यालय) लेह)

इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री देशवासियों को 'मेरे प्यारे परिवार जन' कहकर संबोधित कर रहे थे। यह संबोधन 140 करोड़ देशवासियों के साथ ऐसे भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त कर रहा था, जिस जुड़ाव ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर देश को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा किया।

वैसे तो प्रत्येक भारतवासी के लिए, भारतवंशियों के लिए स्वतंत्रता दिवस असीमित गर्व और उल्लास का दिन होता है, फिर भी वर्ष 2023 का स्वतंत्रता दिवस अनेक अर्थों में अपना विशेष महत्त्व रखता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इसे न केवल देखा जा सकता है, वरन् अनुभूत भी किया जा सकता है। हमने दो वर्ष पूर्व अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण किए थे। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव की घोषणा की थी। स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव वर्ष पर्यंत चलना था, अर्थात् 15 अगस्त, 2022 को अमृत महोत्सव को पूर्ण होना था। लेकिन भारतीयों के अतुलनीय उत्साह और देशभक्ति के भाव ने यह संदेश दिया, कि इस महोत्सव को एक वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाकर ले जाना चाहिए।

कहना न होगा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत अमृत महोत्सव में आसेतु हिमालय ऐसा उत्साह जन–जन में दिखा, जिसको शब्दों के माध्यम से बाँधकर व्यक्त कर पाना कठिन है। यह भावना का विषय था, यह देश के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करने का संदर्भ था, यह स्वातंत्र्य समर में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अनेकानेक भारतीयों की स्मृतियों को सँजोने और साझा करने का उपक्रम था। भारत अमृत महोत्सव के वर्ष–पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों का एक बड़ा अंग उन हुतात्माओं को स्मरण करने से संबंधित था, जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं मिला, जो अज्ञात रह गए, अचर्चित रह गए। हमने देश के उन स्थानों को भी जाना, जहाँ हमारे अनेक क्रांतिवीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम की गाथाएँ रचीं। इतिहास के उन पन्नों को पलटा गया जो देश की बड़ी आबादी के लिए अनजाने थे, अज्ञात थे। वर्ष–भर के ऐसे आयोजनों और कार्यक्रमों ने 15 अगस्त, 2022 तक सारे देश को असीमित गर्व से भर दिया था।

देश के अनेक अनाम वीरों और क्रांतिकारियों को खोजने, उन्हें सभी के सामने लाने और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए एक वर्ष का समय पर्याप्त नहीं था। एक क्रम, एक गति देश के साथ जुड़ते हुए, देशभक्ति की भावना में गोते लगाते हुए चल रही थी, जिसे और आगे तक ले जाने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2022 के पंद्रह अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत अमृत महोत्सव को अगले स्वतंत्रता दिवस तक चलाने की घोषणा की थी। भारत अमृत महोत्सव का यह दूसरा वर्ष भी बहुत महत्त्व का रहा। अनेक ऐसी योजनाएँ, जो सारे देश को राष्ट्रीयता की भावना के साथ जोड़ सकें, अमल में लाई गईं। वीरों और क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सँजोते–सहेजते हुए देश भर में अनेक व्याख्यानों और आयोजनों के साथ ही स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की साक्षी अनेक पुस्तकें भी बनीं, जिनका प्रकाशन वर्ष भर अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से होता रहा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव से जुड़े एक–दो कार्यक्रमों का उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। भारत की ऐसी सीमाएँ, जहाँ वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको सारे देश के साथ जोड़ने के लिए सीमांत पर्यटन योजना बहुत प्रभावी और रोचक सिद्ध हुई है। अनेक सीमांत क्षेत्रों में जा–जाकर लोगों ने इन क्षेत्रों की समस्याओं को समझा और साथ ही देशभक्ति की भावना को अनुभूत किया। ऐसी ही एक योजना वाइब्रेंट विलेज योजना है। इसके साथ ही 'मेरी माटी मेरा देश' एक ऐसे अभियान के रूप में इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के कुछ माह पहले प्रारंभ हुआ, जिसने उन अनेक वीरों, हुतात्माओं और क्रांतिकारियों के साथ समूचे देश को जोड़ा, जो अज्ञात थे, जिनके बारे में लोगों को कम जानकारियाँ थीं।

विभिन्न आदिवासी क्रांतिकारी, जिनको इतिहास में विद्रोही बताकर इतिश्री कर ली गई थी, उनके अप्रतिम योगदान, उनके अतुलनीय बलिदान को नए सिरे से, पूरी सच्चाई के साथ सामने लाने हेतु देश भर के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से सूचनाएँ और जानकारियाँ एकत्रित की गईं। प्रदर्शनियों और झाँकियों के रूप में इनका देश भर में प्रदर्शन हुआ, चर्चाएँ भी हुईं। क्रांतितीर्थ जैसे आयोजनों के माध्यम से उन वीरांगनाओं को भी सम्मानित करने और कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य किया गया, जिन्होंने विभिन्न युद्धों व संघर्षों में अपने पति, अपने पुत्र का बलिदान दिया। देश के विभिन्न स्थानों में क्रांतिकारियों के आँगनों से, गाँवों से पवित्र माटी संकलित की गई, ताकि राष्ट्रीय स्मारक में उपयोग करके देश को एक सूत्र में बाँधा जाए और आने वाली पीढ़ियों को अपने वीर बलिदानी पुरखों के बारे में बताया भी जाए।

इन्हीं प्रयासों को साथ लिए हुए, देशभक्ति के भावों से भरकर हमने हाल ही में अपना स्वतंत्रता पर्व मनाया। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण देते हुए केंद्र सरकार के विगत लगभग दस वर्षों का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, कि– सन् 2014 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर थे। आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमने लीकेज बंद करके (अर्थात् भष्टाचार पर लगाम), मजबूत अर्थव्यवस्था बनाकर और गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाओं को व्यवहार में उतारकर इस स्थान को पाया है।

इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री देशवासियों को 'मेरे प्यारे परिवार जन' कहकर संबोधित कर रहे थे। यह संबोधन 140 करोड़ देशवासियों के साथ ऐसे भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त कर रहा था, जिस जुड़ाव ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर देश को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की शक्ति, युवा जनसंख्या के बल और विविधता की त्रिवेणी का उल्लेख करते हुए कहा, कि इसी त्रिवेणी ने भारत के हर सपने को साकार करने की ताकत दी है। आज इसी के बल पर हमारे युवाओं ने विश्व के पहले तीन 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' में स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा, कि विश्वभर में भारत की चेतना के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मेरी सरकार और

मेरे देशवासियों का मान 'राष्ट्र प्रथम' के वाक्य से जुड़ा है।

हाल ही में मणिपुर की घटनाओं पर दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने शीघ्र ही स्थितियों के सामान्य होने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने देश की आंतरिक और सीमांत सुरक्षा पर सुदृढ़ और सशक्त नीति का उल्लेख करते हुए कहा, कि– आज देश में आतंकी हमलों में कमी आई है और नक्सली घटनाएँ बीती बातें हो गईं हैं। यह नया भारत है, जो न रुकता है, न हाँफता है।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सबसे बड़ा पक्ष भविष्य की कार्ययोजना का था। उन्होंने स्थिर सरकार की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा, कि देशवासियों ने स्थिर सरकार 'फॉर्म' की, तब मोदी ने 'रिफार्म' किया, नौकरशाही ने 'परफार्म' किया और जनता जुड़ गई तो 'ट्रांसफार्म' किया। इस गति को उन्होंने आगे तक ले जाने की बात कही। वे पिछले 1000 वर्षों से आगामी 1000 वर्षों तक के भारत की यात्रा को व्याख्यायित करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को एक पड़ाव की तरह बताना चाह रहे थे।

इस वर्ष स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की पूर्णता के साथ ही सन् 2047 के लिए सभी को एक साथ मिलकर चलने के लिए आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव की पूर्णता से अमृत काल के लिए चल पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, कि– वर्ष 2047 में जब देश स्वाधीनता के 100 वर्षों का उत्सव मना रहा होगा, तब भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा झंड़ा बने, ऐसी कामना है। उन्होंने कहा, कि– हमें खोई हुई समृद्धि का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमको यह मानकर चलना होगा, कि आज हम जो कदम उठाएँगे, वे अगले एक हजार वर्ष तक की हमारी दिशा तय करेंगे।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नए भारत के लिए, 'न्यू इंडिया' के लिए 'विजन 2047' अमृत काल से जुड़ा हुआ है। अमृत काल भारतीय वाङ्मय में उस काल को कहा जाता है, जो किसी कार्य को करने के लिए उचित होता है और अपेक्षित सफलता उस काल में प्राप्त होती है। यह एक प्रकार से शुभ मुहूर्त होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अमृत काल के लिए पाँच प्रणों की बात करते हुए इन्हें स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष तक पूर्ण करने की बात कही है।

प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण में पहला संकल्प विकसित भारत का है। इसमें देश के ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों को मूलभूत संसाधनों व सुविधाओं से युक्त करने की बात है। दूसरा संकल्प गुलामी से मुक्ति का है। हमारे मन में गुलामी का एक अंश भी शेष न रह जाए और हम मन व कर्म से स्वाधीन अनुभूत करें। तीसरा संकल्प विरासत पर गर्व का है। हमें अपनी गौरवपूर्ण विरासत पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हम विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। चौथा संकल्प एकता और एकजुटता का है। हमें एक होकर, अपनी विविधताओं को एक सूत्र में बाँधकर भारत की समृद्धि के लिए, विकास के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। पाँचवा संकल्प नागरिकों का कर्तव्य है। देश के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का निष्ठा व लगन के साथ पालन करके देश के विकास में अपना योगदान दें।

स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भाषण अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर बढ़ने का संदेश देते हुए असीमित ऊर्जा से भरा हुआ था। एक आत्मविश्वास, जो अपने 'परिवार जनों' के साथ संबोधित होते हुए झलकता है, उसे हम अपने मार्गदर्शक की ओजस्वी वाणी में अनुभूत कर रहे थे। निःसंदेह हमारा शीर्ष नेतृत्व अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर अग्रसर होते हुए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता प्रतीत होता है। इस हेतु हम भारतवासी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं।

मूल रूप से हिन्दू ही थे भारतीय मुसलमान

डॉ. प्रदीप कुमार
(असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विवि.)

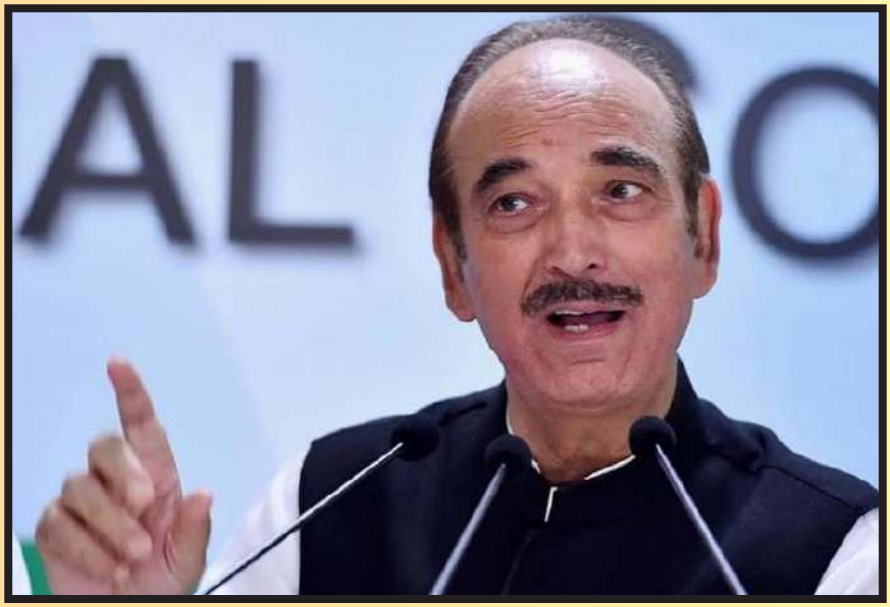

भारत के बीस करोड़ मुसलमानों के असली पूर्वज कौन थे? क्या इनके पूर्वज हिंदू थे? इस विषय को लेकर समाज में आमजन से लेकर राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीवी वर्गों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा हो रही है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि सातवीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पूर्व विश्व में कहीं भी मुसलमानों का अस्तित्व नहीं था। इस्लाम में आस्था रखने वालों को मुसलमान शब्द दिया गया। भारत का इस्लाम से परिचय सातवीं शताब्दी में अरबी व्यापारियों के माध्यम से हुआ था इससे पूर्व भारत में लगभग 15 सौ साल पहले एक भी मुसलमान नहीं था। यह बात 1 हजार 413 वर्ष पुरानी है और इस्लाम धर्म भी इतना ही पुराना है। इससे पहले भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध रहा करते थे। 1930 के दशक में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया' इस पुस्तक में बताया गया है कि 636 ईसवी में सीरिया, मिस्र ,पर्शिया, फिलिस्तीन में इस्लाम धर्म के पहुंचने के बाद वहां के खलीफाओं को यह समाचार मिला कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता है। इस पुस्तक में लिखा है कि 500 से भी कम मुसलमानों का एक समूह ओमान के रास्ते संयुक्त भारत के समुद्री तट पर आया था लेकिन यह भारत में प्रवेश करने में ज्यादा सफल नहीं रहा। उसके बाद 712 ईसवी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उससे लगी हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में आए थे। आठवीं, नौवीं और दसवीं शताब्दी में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक इन्हीं (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा) क्षेत्रों में थी। हालांकि 9 वीं शताब्दी में भारत में 200000 मुसलमान भी नहीं थे इनमें से कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म से ही इस्लाम धर्म अपनाया था। वर्ष 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और उस समय मोहम्मद गौरी के पास 120000 मुसलमानों की फौज थी।

भारत के इतिहास में यही वह दौर था जहाँ से मुस्लिम आबादी भारत में बढ़नी शुरू होती है, यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और यहीं से भारत की 1000 वर्षो की गुलामी शुरू हुई। बाद में इस गुलामी का दौर 15 अगस्त 1947 में समाप्त हुआ। इस दौरान भारत में मुसलमानों की आबादी 3.30 लाख से 3.30 करोड़ हो गई। वर्ष 1200 में भारत में कुल मुस्लिम आबादी 4,00,000 थी और 200 वर्ष बाद भारत की मुस्लिम आबादी 32,00,000 हो गई। 1535 में जब भारत में मुगल आ चुके थे तब भारत की मुस्लिम आबादी एक करोड़ 2800000 हो गई वर्ष अट्ठारह सौ में भारत में मुस्लिम आबादी 5 करोड़ हो गई और बंटवारे के समय 1947 में भारत में मुस्लिम आबादी 3.30 करोड़ थी और आज 2023 में भारत की मुस्लिम आबादी 20 करोड़ हो गई है। इस तरह 12 वीं सदी से लेकर आज 21वीं सदी तक भारत में मुस्लिम आबादी का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया।

यदि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की मुस्लिम आबादी को जोड़ दें तो यह लगभग 50 करोड़ के आसपास हो जाती है अर्थात भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदू की तुलना में दोगुनी है। इसका दूसरा पक्ष भी है, भारत में विदेश से आए हुए मुसलमानो की संख्या मात्र 20 लाख है और बाकी सारी संख्या यहीं के

रहने वाले हिन्दुओं से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बनी। यह इसलिए माना जाता है क्योंकि इन सबके पूर्वज हिंदू ही थे उस समय उनके सामने यह मजबूरी थी कि यहाँ रहना है तो इस्लाम में आपको आस्था रखनी होगी, इस्लाम धर्म को स्वीकार करना ही होगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें लोगों के सामने यह विकल्प था कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या अपना सर कलम करवाओ। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके पुत्रों के सामने यह विकल्प रखा गया था कि आप या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए या अपना सर कलम करवाइए। (पुस्तक संदर्भ के. एस लाल ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पापुलेशन इन मेडिबल इंडिया ऐडी 1000 से 1800)।

वर्ष 1414 से 1431 तक बंगाल के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद थे परंतु हकीकत यह है कि वह हिंदू से मुसलमान बने थे उनके पिता का नाम राजा गणेश था उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के लिए लोगों को मजबूर किया, यही वजह थी कि बंगाल में मुस्लिम आबादी इतनी हो गई कि बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का विभाजन करना पड़ा। एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा जो बाद में बांग्लादेश बना। इसी तरह कश्मीर में 1000 साल पहले वहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां एक मुस्लिम शाह मिर्जा आया और वहां के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा। 14 वीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर में शाहमीरी वंश का शासन आया और यही व्यक्ति सिकंदर शाह सुल्तान बना इसे (बुतशिकांत) मूर्ति भंजक कहा गया। इसी के शासन में बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़े गए और कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया और इसके बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इसी बात को कश्मीर के निवासी प्रसिद्द राजनेता गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि आज से 1000 साल पहले कश्मीर में कोई भी मुसलमान नहीं था सब लोग यहां हिंदू थे हम सबके पूर्वज हिंदू हैं। आज भी हम देखते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान और हिंदुओं के सरनेम एक जैसे हैं जैसे मट्टू, दार, मट्टू, पंडित, वानी, बट, चौधरी, मलिक, लोन आदि। यह वह सरनेम है जो हिंदू अपने नामों के आगे लगाते हैं।

कश्मीर की तरह गुजरात में भी 14 वीं शताब्दी के अंत में गुजरात सल्तनत की स्थापना जफर खान उर्फ मोहम्मद शाह प्रथम ने की। मोहम्मद शाह के पिता हिंदू राजपूत थे। गुजरात में आज भी मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे। इसमें भारत का

इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री देशवासियों को 'मेरे प्यारे परिवार जन' कहकर संबोधित कर रहे थे। यह संबोधन 140 करोड़ देशवासियों के साथ ऐसे भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त कर रहा था, जिस जुड़ाव ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर देश को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा किया।

विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं जो खुद गुजरात के हिंदू परिवार से संबंध रखते थे और उनके पूर्वज भी हिंदू थे और राजपूत समुदाय से उनका रिश्ता था। इसी तरह दिल्ली के पास नूह (मेवात) यहां पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के पूर्वज भी मेव राजपूत अर्थात हिंदू ही थे। इस आधार पर वर्ष 1200 से लेकर 1400 के बीच गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, का शासन रहा इस दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 4,00,000 से 32,00,000 हो गई। इसी दौरान कश्मीर, बंगाल, सिंध, गुजरात आदि क्षेत्रों में हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में मतांतरित करने की कोशिशें की गई। इसके बाद भारत में मुगल आए जो तैमूरलंग के वंशज थे। तैमूरलंग मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगलों के समय में भी औरंगजेब के शासन में हिंदुओं को इस्लाम धर्म में कन्वर्टेड कराया गया। सिखों के दसवें गुरु तेग बहादुर ने इसी धर्मांतरण का प्रतिरोध करते हुए अपनी तथा अपने परिवार की शहादत दी थी वह इसी के विरुद्ध थी। औरंगजेब कश्मीर के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था और इसी के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी खड़े हुए और औरंगजेब ने उनका सर धड़ से कलम करवा दिया। अब इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बाहर से आए हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहीं के हिंदुओं को बड़ी मात्रा में धर्मांतरित करने की बड़ी कोशिश की। यही वजह है कि आज भारत के मुसलमानों का पूर्वज हिंदुओं को माना जाता है। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम हिंदुओं के सरनेम जैसा है, जैसे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार नजम सेठी का नाम सेठी, जो पंजाब के हिंदुओं के खत्री समुदाय से है, पाकिस्तान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी का सरनेम भी भारतीय हिंदुओं का सरनेम है। यहाँ तक कि कट्टरपंथी जाकिर नाइक भी हिंदुओं की एक समुदाय नायक जाति से संबंध रखता है।

आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान ईरान, तुर्क या बाहर से आए हो सकते हैं परंतु अधिकांश पाकिस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। इस संदर्भ में प्रोफेसर मक्खन लाल जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि 200 साल पहले तक कश्मीर में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी परंतु अंग्रेजों के आने के बाद वहां पर कन्वर्जन के कारण मुस्लिम आबादी एकाएक बढ़ी। इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम

सभी का डी.एन.ए. एक है। तब इस बयान को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत हलचल हुई थी।

आखिर इस विषय को लेकर जो सत्य था वह उजागर होने लगा है अभी हाल ही में भारत के मुस्लिमों को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, आज उसी प्रकार का एक बयान जम्मू कश्मीर (एकीकृत) के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद का आया है। एक सभा में आजाद ने कहा है, "मैं संसद में भी यह बात कह चुका हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें आप तक नहीं पहुँचती है। चर्चा के दौरान बीजेपी के एक नेता मुझे बता रहे थे कि कौन बाहर से आया है और किसका इस जमीन से ताल्लुक है। मैंने उनसे कहा कि यह अंदर–बाहर का मसला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम तो वैसे भी 15 सौ साल पहले ही आया है। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। जो लोग (मुस्लिम) बाहर से आए होंगे, वो केवल 10–20 होंगे और वो भी उस वक्त मुगलों की फौज में थे। बाकी तो सब यहाँ (भारत) हिंदू से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं।" अपने संबोधन के दौरान आजाद ने यह भी बताया कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था। सब कश्मीरी पंडित थे। सब इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बने हैं।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर कहना चाहूंगा कि हमने हिंदू, मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी गुर्जर मिलकर सबने इस घर (भारत) को बनाना है। ये हमारा घर है। यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। सब यहीं इसी मिट्टी (भारत) की पैदावार हैं इसी मिट्टी में खत्म होना है।" गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, "हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं। उनके भाई उन्हें जलाते हैं। उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं। वो दरिया का पानी हम पी जाते हैं। बाद में आगे कौन देखता है कि इसमें लाश जली है। इसे घर ले जाकर लोग पीते हैं। ये पानी खेतों में जाता है, तो आखिर वो हमारे पेट में ही जाता है। हमारा मुसलमान तो मरने के

बाद सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है वो सबसे ज्यादा जमीन पकड़ता है।" उन्होंने आगे कहा, "वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका माँस भी हड्डी भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाता है। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, हिंदू भी गया इसी मिट्टी में और मुसलमान भी इसी मिटटी में गया और उस जमीन पर अनाज लगाया वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि मजहब का सहारा तो ठीक है आप लीजिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा लेता है वो कमजोर होता है।" उन्होंने आगे कहा कि जिसको अपने आप पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो मजहब का सहारा नहीं लेगा। जो ये कहेगा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो कमजोर है। उसे पहले और बाद में भी कुछ करना नहीं है। वो बस कहेगा मैं हिंदू हूँ मुझे वोट दे दो, मैं मुसलमान हूँ मुझे वोट दे दो। अरे हिंदू को वोट से क्या मतलब भाई, सड़क बनानी है, स्कूल बनाने हैं, नौकरी देनी है। मुसलमान का एमएलए और मंत्री बनने से क्या लेना–देना। काबिल है तो कर सकेगा, नहीं तो नहीं, इसके लिए इस्लाम को क्यों बर्बाद करते हो? अपने धर्म को क्यों बदनाम करते हो? जुल्म क्यों करते हो? नफरत क्यों बाँटते हो?

उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश (UP) के अयोध्या के संतों ने सराहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि डीएनए की जाँच करवा लो तो सब के सब भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू ही निकलेंगे। इसके अलावा जगदगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण भले कुछ हो लेकिन गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखी है।

उपरोक्त तरह के विमर्श ने भारतीय समाज में अपना चिंतन प्रवाह प्रारंभ कर दिया है यह हम सभी भारतियों के लिए सुखद है क्योंकि इस प्रकार के विमर्श से भारत के मुस्लिम समाज को अपनी जड़ें अरब के स्थान पर भारत में देखने की संभावना बढ़ जाएगी। जागरूक मुस्लिम समाज को यह भी समझ आने लगेगा कि पूजा और उपासना पद्धति बदल जाने से उनकी पहचान और उनके पूर्वज नहीं बदल जायेंगे। भारत में रहने वाले विभिन्न मत सम्प्रदाय के लोगों की जड़ें भारत की मिटटी में ही हैं, इसी मिट्टी में उनके पूर्वज पल्लवित पुष्पित हुए और इसी मिट्टी में मिल गए, वे भी इसी मिटटी में विकसित हो रहे हैं और अंत में यही मिटटी उन्हें भी अपने में समेट लेगी। यह भाव भारत के उन सभी लोगों को एकसूत्र में पिरोयेगा जिन्हें वर्षों से तुष्टिकरण की राजनीति के चलते मजहबी और सांस्कृतिक अलगाववाद का शिकार बना लिया गया था। यह भारत के नवजागरण का युग है, अपने 'स्व' को पहचाने का युग है, चिंतन और मनन कर अपने मूल से जुड़कर अपने राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने के इस वेला में भारतवंशियों के डीएनए और भारत के मुसलमानों के डीएनए की दिशा में ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही तथ्य सबके सामने रखे जाने की दिशा में इस प्रकार के संवाद एवं विमर्श महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

जैव विविधता अधिनियम

खुशबू चौधरी
एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट

जैव विविधता एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों का समर्थन करता है। यह कृषि और वानिकी, मत्स्य पालन, फार्मास्यूटिकल्स और पारिस्थितिक पर्यटन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम 5 फरवरी, 2003 को पारित किया गया था, और 1 अक्टूबर, 2003 और 1 जुलाई, 2004 को शुरू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून बनाने का प्रयास था।

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीबीडी) की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया गया था। परंतु यह भी सत्य है कि जैविक विविधता की रक्षा के प्रयास बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। 1994 में, भारत सहित कई देश जैविक विविधता पर एक सम्मेलन (सीबीडी) पर सहमत हुए थे, जो जलवायु परिवर्तन पर अधिक

2002 के कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि दिशानिर्देशों के साथ-साथ अधिनियम और इसके नियमों (2004 में जारी) के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी भी मामले के कानून और अनुभव के अभाव में, भारत में अदालतों को मुकदमों से निपटने में भी कठिनाई हो रही थी,

प्रसिद्ध समझौते के समान एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा समझौता है। तीन बातों पर आम सहमति थी– (i) कि जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की जरूरत है, (ii) उदाहरण के लिए, उनके औषधीय गुणों के लिए इन संसाधनों के स्थायी उपयोग को विनियमित करने की जरूरत है, और (iii) इन संसाधनों की सुरक्षा और रखरखाव में मदद करने वाले लोगों और समुदायों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता है।

भारत का जैविक विविधता अधिनियम 2002 इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसने एक नियामक संस्था के रूप में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की और उन शर्तों और उद्देश्यों को निर्धारित किया जिनके लिए जैविक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। उद्देश्य मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग से संबंधित हैं।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 इन अमूल्य संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग की सुविधा प्रदान करते हुए जैव विविधता उपयोग से प्राप्त लाभों के समान बंटवारे को बढ़ावा देता है। भारत की जैविक विरासत की रक्षा के लिए यह कानून जरूरी है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में, कई हितधारकों, जैसे कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली, बीज क्षेत्र, फार्मास्युटिकल और अन्य उद्योगों और अनुसंधान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वालों ने बताया कि 2002 के

कानून के कुछ प्रावधानों ने उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था, और इसी कारण 2002 के अधिनियम में कुछ संशोधन की जरूरत थी।

2002 के कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि दिशानिर्देशों के साथ–साथ अधिनियम और इसके नियमों (2004 में जारी) के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी भी मामले के कानून और अनुभव के अभाव में, भारत में अदालतों को मुकदमों से निपटने में भी कठिनाई हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति पैदा हुई और संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने और आर्थिक लाभ सुरक्षित करने के इच्छुक लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ था।

जुलाई 2023 में लोकसभा ने 2002 के जैविक विविधता अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक कई केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शोधकर्ताओं, उद्योग और अन्य हितधारकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। यह संशोधन 20 साल पुराने कानून के कार्यान्वयन के संबंध में जो देश की जैविक विविधता को संरक्षित करने और इसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। नवीनतम विधेयक उन परिस्थितियों को बदलकर जिनके तहत लाभ साझा किए जाते हैं और कंपनियों के लिए संसाधनों तक पहुंच को आसान बनाकर, अधिनियम को उसके मूल रूप में महत्वपूर्ण बदलाव करता है।

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक पारंपरिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव करता है। यह भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों को पहुंच लाभ साझा करने से छूट देता है, एक ऐसा तंत्र जो संसाधनों और ज्ञान का उपयोग स्थानीय समुदायों और जैव विविधता के संरक्षकों के साथ साझा करना सुनिश्चित करता है। ये परिवर्तन राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना, अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे।

विधेयक 'नियंत्रण' की परिभाषा को

2013 के कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित परिभाषा के साथ सामंजस्य स्थापित करके संसाधनों तक पहुंचने की मांग करने वाली एक विदेशी–नियंत्रित कंपनी की परिभाषा को परिष्कृत करता है। भारत के बाहर निगमित कंपनियां या विदेशी 'नियंत्रण' वाली भारतीय कंपनियां, जैसे नवीनतम विधेयक के अनुसार, कंपनी अधिनियम द्वारा परिभाषित, संसाधनों और ज्ञान तक पहुँचने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यह एक स्वागतयोग्य स्पष्टीकरण है। पिछले विधेयक में विदेशी कंपनियों को अस्पष्ट परिभाषा दी गई थी जिसकी गलत व्याख्या और दुरुपयोग किया जा सकता था। यह परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि उन्हें अभी भी अपेक्षित अनुमतियाँ लेने की आवश्यकता है, और इसे कम अस्पष्ट बनाती है।

मूल अधिनियम विदेशी संस्थाओं के प्रति सख्त था क्योंकि कानून की उत्पत्ति बायोपाइरेसी को रोकने में निहित थी। विचार यह था कि विदेशी व्यक्तियों को सूचित सहमति, उचित स्वीकृति और लाभ साझा करने के बिना जैविक संसाधनों और लोगों के ज्ञान का उपयोग करने से रोका जाए, चाहे वह मौद्रिक हो या अन्यथा। चाहे वह घरेलू इकाई हो या विदेशी, लाभ को पहचानने और साझा किए बिना पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करने का शुद्ध प्रभाव स्थानीय समुदायों के लिए समान है जो जैव विविधता के वास्तविक संरक्षक हैं और कानूनी रूप से 'लाभ के दावेदार' के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए अधिनियम में उक्त बदलाव आवश्यक थे।

अन्य बातों के अलावा, जैविक विविधता अधिनियम में संशोधनों का उद्देश्य आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना, भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण और वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना और प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना है ताकि सभी के लिए इसके प्रावधानों का अनुपालन करना आसान हो। अंततः यह कहा जा सकता है कि इन संशोधनों को लाने से जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत् उपयोग और लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण होगा।

अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2023

केशव कुमार चंदेल
शोधार्थी, हिमाचल विवि., शिमला

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम वर्ष 2002 एवं 2010 में लागू किया गया था। लेकिन अभी तक अपटतीय क्षेत्र में इस अधिनियम के बावजूद किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया गया है क्योंकि अपतटीय क्षेत्रों में खनन हेतु प्रचलन अधिकारों के आवंटन में विवेकाधिकारों की विद्यमानता एवं पारदर्शिता का अभाव है। अतः वर्तमान कानून में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए एवं आगामी अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु भारतीय संसद में अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2023 पारित किया है। यह अधिनियम भारत के समुद्री क्षेत्र में खनन कार्य को विनियमित करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार के प्रचलित अधिकारों के अंतर्गत नहीं आने वाले अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति दी गई है तथा साथ ही सरकार एवं सरकारी कंपनियों को खनन लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम के तहत उत्पादन लाइसेंस के पुर्ननवीनीकरण के प्रावधान को हटाकर 50 वर्ष की निश्चित अवधि तक उत्पादन लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही इसमें केवल प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से ही निजी क्षेत्र को उत्पादन लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित समुद्री खनिज क्षेत्र में सरकार तथा सरकारी कंपनियों को बिना प्रतिस्पर्धा नीलामी के प्रचलन अधिकार दिए जा सकते हैं जबकि परमाणु खनिजों के संदर्भ में उत्पादन लाइसेंस केवल सरकार एवं सरकारी कंपनियों को ही दिया जाएगा। इसके साथ ही यह अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के समुद्री क्षेत्र में खनिजों के संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास तथा इस प्रकार के खनन द्वारा होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण की संरक्षण हेतु उचित कदम उठाने का अधिकार देता है। अपतटीय क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले कुल क्षेत्र पर सीमा लागू की गई है। अब कोई व्यक्ति एक या अधिक परिचालन अधिकारों (एक साथ लिया गया) के अंतर्गत किसी भी खनिज या संबंधित खनिजों के निर्धारित समूह के संबंध में 45 मिनट अक्षांश और 45 मिनट देशांतर से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है।

भारत की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति समुद्री क्षेत्र में इन दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति के अनुकूल है। तथापि भारत इन दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति हेतु आयात पर निर्भर है। भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि खनिजों की मांग की पूर्ण आपूर्ति हेतु चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि देशों पर निर्भर है।

भारत आज विश्व की सर्वाधिक वृद्धि दर से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है एवं देश में विनिर्माण, अवसंरचना तथा विकास हेतु विभिन्न प्रकार के खनिजों की महती आवश्यकता है। विश्व बैंक के अनुसार

लिथियम, ग्रेफाइट इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में वर्ष 2050 तक 500 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रत्याशित है। इन बहुमूल्य संसाधनों की उपलब्धता में कमी अथवा किन्हीं विशेष क्षेत्र में ही इनके संकेंद्रण के कारण इन पर बढ़ती आयात निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला सुभेद्यता जैसी चुनौतियाँ भारत के समक्ष विद्यमान है। रूस–यूक्रेन युद्ध से यह और अधिक प्रतिबिंबित हो चुका है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इन प्रकार के आघातों के प्रति कितनी सुभेद्य हैं, जिससे इन वस्तुओं की उपलब्धता में कमी एवं कीमतों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे देश इन्हीं सुभेद्यताओं के कारण इनकी आपूर्ति हेतु चीन पर निर्भरता को कम करते हुए अन्य विकल्पों की ओर अग्रेषित हुए हैं। इस हेतु मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई गई है जिसमें भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो में विश्व का 70 प्रतिशत कोबाल्ट पाया जाता है लेकिन यहां इसके खनन में चीन का प्रभुत्व है। चीन के पास ही विश्व के अब तक ज्ञात रेअर अर्थ एलिमेंट्स का अधिकांश हिस्सा है एवं उनके वैश्विक उत्पादन में चीन का योगदान 65 प्रतिशत है। भारत की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति समुद्री क्षेत्र में इन दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति के अनुकूल है। तथापि भारत इन दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति हेतु आयात पर निर्भर है। भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि खनिजों की मांग की पूर्ण आपूर्ति हेतु चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि देशों पर निर्भर है। 2021–22 में भारत में 22.15 मिलियन डॉलर का लिथियम आयात किया गया तथा 1791 में 25 मिलियन डॉलर लिथियम आयन बैटरी हेतु खर्च किया गया। भारत के पास विश्व के रेअर अर्थ एलिमेंट्स का 6 प्रतिशत है जबकि वैश्विक उत्पादन में केवल 1 प्रतिशत ही योगदान है। इंटरनेशनल सी–बेड ऑथॉरिटी के अनुसार, हिंद महासागर में निकिल एवं कोबाल्ट के निक्षेप भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उल्लेखनीय की निकिल एवं कोबाल्ट लिथियम–आयन बैटरी हेतु प्रमुख खनिज है। अतः भारत की अर्थव्यवस्था को संधारणीय, पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु यह खनिज आवश्यक है। भारत के पास 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जहां खनिज बहुतायत रूप से विद्यमान है। गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटों पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 1.7 मिलियन टन चुना मिट्टी तथा केरल के तट पर 745 मिलियन रेत है। इसके अतिरिक्त पूर्वी एवं पश्चिमी महाद्वीपीय मार्जिन में फास्फोराइट तथा अंडमान सागर एवं लक्षद्वीप सागर में पॉलीमटैलिक फेरोमैग्नीज नूडल्स विद्यमान है। अतः भारत को उच्च संवृद्धि हेतु इन संसाधनों का अपनी उच्च क्षमता के साथ उपयोग सुनिश्चित करना है एवं इस हेतु सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों को सार्थक प्रयास करना होगा।

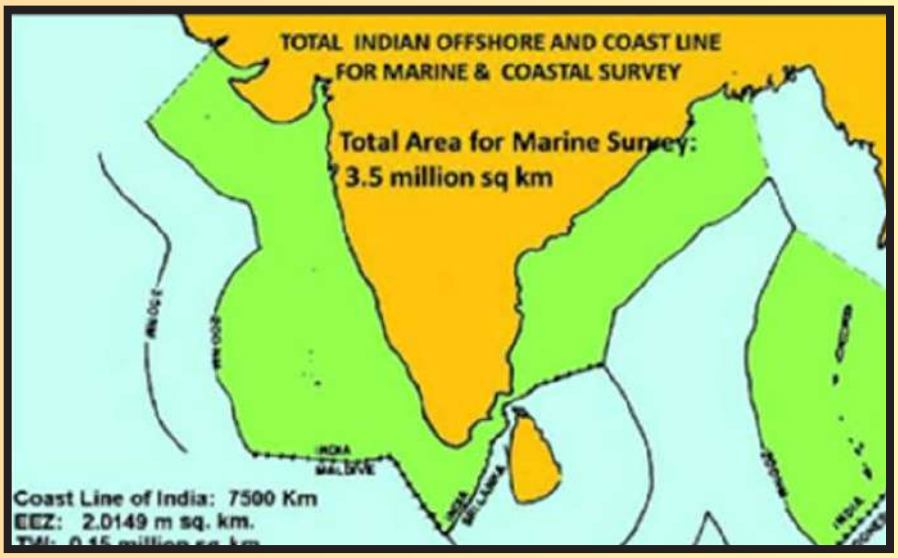

वर्तमान कानून में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए एवं आगामी अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु भारतीय संसद में अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2023 पारित किया है। यह अधिनियम भारत के समुद्री क्षेत्र में खनन कार्य को विनियमित करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार के प्रचलित अधिकारों के अंतर्गत नहीं आने वाले अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति दी गई है।

अटारी यात्रा–सीमा दर्शन, दिल्ली प्रान्त

✍ डॉ. मुकेश कुमार उपाध्याय

यात्रा शब्द बचपन से ही मेरे जीवन में उत्साह और उमंग भरने वाला शब्द रहा है। मैं जितना घुमंतू हूं उससे ज्यादा परिस्थितियों ने मुझे घूमने का मौका दिया 13 साल की उम्र से इस देश के अलग–अलग कोनो को जल, थल, नभ सभी रास्तों से देखा और समझा है, हर यात्रा एक नया आयाम लेकर आती है मेरे जीवन में, कुछ नई सीख,समझ और संवेदनशीलता समुंद्र की तलहटी से पर्वत की उच्चाइयों तक सुनहरे घाटी से असीमित खाई तक सब ने मुझे प्रभावित किया और कुछ नया सीखने का अवसर दिया। किंतु विगत 11 से 13 अगस्त तक की अटारी यात्रा एक अदभुत और रोमांचकारी यात्रा के रूप में हमेशा मेरे अन्तश में रहेगी।

यह यात्रा श्री श्याम नारायण पाण्डेय जी (प्रांत सह–युवा प्रमुख, सीमा जागरण मंच, दिल्ली प्रांत) एवं श्री दिवाकर जी(विभाग संयोजक पूर्वी विभाग) के कुशल मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई मुख्य रूप से इस यात्रा में डॉ.सुजीत मणि त्रिपाठी जी, महेश गोयल जी, रितिक पांडेय जी, इंदर गर्ग जी, आदित्य भट्टर, चिरायु एवं मैं डॉ.मुकेश कुमार उपाध्याय समस्त तैयारियों को निष्पादित करते हुएं एवं समस्त स्वयंसेवक को इकट्ठा होने एवं समर्पण देवालय स्थित संघ कार्यालय से अपने वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इत्यादि प्राप्त करके हम सब लगभग सायं 4.30 बजे अमृतसर के लिए हर हर महादेव एवं भारत माता की जय उद्घोष के साथ संघ कार्यालय से विदा हुए तत्पश्चात हमारा पहला पड़ाव कुरुक्षेत्र के एक ढाबे पर हुआ जहां सभी 9 लोगों ने स्वल्पाहार ग्रहण किया एवं जल्द ही पुनः अग्रिम पड़ाव के लिए प्रस्थान कर दिए। चूकि हम सब जानते थे कि हमें दिल्ली छोड़ने में देरी हुई है और समय से अमृतसर पहुंच कर पर्याप्त रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन के कार्यक्रमों के लिए कमर कस लेना है हमारी ये पूरी यात्रा समय की दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमारे पास लक्ष्य ज्यादा थे हासिल करने के लिए लेकिन समय काफी कम तद्धेतु हम सब व्यस्ततम समय से ही अपने लिए भोजन, स्वल्पाहार एवं रात्रि विश्राम के लिए समय निकाल पाते थे। 11 अगस्त की रात्रि 10.30 में अगला पड़ाव हम सभी ने रात्रि भोजन के लिए जालंधर में एक ढाबे पर रुके लगभग 40 मिनट में हम सभी ने शीघ्र अतिशीघ्र अपना रात्रि भोजन पूर्ण करके पुनः अमृतसर के लिए आगे बढ़ गए चुकीं लगातार द्रुत गति से वाहन चलाते हुए मैं एवं डॉ सुजीत मणि त्रिपाठी काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन फिर भी आने वाले दिन की खुशी और उत्साह के आगे वो थकान भी निरंतर कमजोर पड़ रही थी। हम सब 11 अगस्त की रात्रि 12.30 बजे अपने अमृतसर स्थित होटल पहुंचे एवं अविलंब शीघ्र अति शीघ्र चेक इन इत्यादि की प्रक्रिया को पूरा करके हम सब अपने अपने कमरे में रात्रि विश्राम के लिए प्रस्थान किए इस तरह हमारा पहला दिन 11 अगस्त 2023 पूरा हुआ।दूसरे दिन 12 अगस्त 2023 को हम सब प्रातः शीघ्र अति शीघ्र तैयार होकर होटल द्वारा उपलब्ध कराए गए सुस्वाद आलू पराठा, दही, अचार, चाय इत्यादि

का भरपूर मात्रा में सेवन करके अपने दूसरे दिन के लिए नियत कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान किए हमारा पहला स्थल(१)– अमृतसर म्यूजियम था जहां हमने पंजाब से जुड़े सभी तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए सहभागिता एवं विभाजन के विभत्स द्वंष को बहुत करीब से महसूस किया यह एक सशुल्क संग्रहालय है जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के करीब टाउन हॉल परिसर में बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित एवं संजीदगी से बनाया एवं संचालन किया जा रहा है।

इस संग्रहालय में आधुकिन ऑडियो वीडियो विजुअल्स के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े अनेकानेक नेतृत्वकर्ताओं का संबोधन एवं चल चित्र देखने को प्राप्त होता है।(२)– अटारी रेलवे स्टेशन एवं अटारी गांव – अमृतसर संग्रहालय देखने के पश्चात यह सभी ने तय किया की दूसरे दिन के अगले पड़ाव के रूप में हम सर्व प्रथम अटारी रेलवे स्टेशन देखेंगे जो पंजाब की तरफ से भारत का आखिरी एवं पहला रेलवे स्टेशन है। हम सब लगभग तीस किलोमीटर की यात्रा करते हुए सबसे पहले अटारी रेलवे स्टेशन गए हम सभी ने स्टेशन को सभी तरफ से देखा एवं महसूस किया एक गहरा सन्नाटा जैसे खामोशी भी कान की गहराई में चीख चीख कर कान के पर्दे फाड़ दे।

वहां हम सभी ने एक छोटी बैठक की, कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए जिससे सभी के भावनाओ को कैद किया जा सके तत्पश्चात हम लोग स्टेशन मास्टर से मिले उन्होंने स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों एवं भारत – पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस जो फिलहाल बंद है उसके बारे में जानकारी प्रदान की उनके साथ एक संक्षिप्त बात चीत के बाद हम लोग स्टेशन परिसर से बाहर निकलकर अटारी गांव की तरफ बढ़ चले।अटारी स्टेशन के बाद हम सब अटारी गांव पहुंचे वहां हम सर्वप्रथम श्री वर्मा जी की मिस्ठान की दुकान पर पहुंचे जिनका परिवार लगभग 60 वर्षो से इसी गांव में रह रहा है, पहले उनके पिताजी इसी व्यवसाय में थे अब वो स्वयं इस व्यवसाय को संभाल रहे हैं। श्री श्याम नारायण पाण्डेय जी ने उनसे लगभग 35 मिनट की विस्तृत चर्चा की जिसमे उनसे पंजाब के सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक, समसामयिक मुद्दों पर काफी प्रासंगिक बात हुई। तत्पश्चात हम सभी कुछ अन्य लोगो से भी इसी विषय पर बात हुई सभी ने माइग्रेशन, रोजगार, स्वास्थ, शिक्षा इत्यादि मुद्दो पर अपनी चिंता जाहिर की। हम लोग लगभग 3–4 घंटे अटारी गांव में लोगो से बात चीत में बिताए जो हमारे भविष्य की योजनाओं, यात्राओं एवं साहित्य संदर्भ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

यहां भी विभाजन का द्वंश लोगो के जेहन में आज भी गहरे जख्म की तरह बैठा हुआ है।(३) अटारी बार्डर – सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर का ये ज्वाइंट चेक पोस्ट (JCP) है ये स्वतंत्रता के बाद से ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा प्रतिदिन सायं को एक अदभुत परेड कार्यक्रम के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। हम लोग भी इस दुर्लभ परेड को देखने के लिए यात्रा के प्रारंभ से ही लालायित थे और हो भी क्यों ना क्योंकि हम सब जानते है की इस देश का हर व्यक्ति हमेशा खुद से पहले अपने राष्ट्र को एवं राष्ट्रध्वज को रखता है। वहा बजने वाले गीत एवं जवानो का जोश हम सब के मन में एक अलग ही जज्बे को स्थान देता है। डॉ.श्याम नारायण पाण्डेय जी ने हम सभी के लिए अपने स्तर से वीआईपी पास की व्यवस्था करा रखी थी अपितु भीड़ की स्थिति देखकर प्रारंभ में तो हम सभी के पसीने छूट गए लेकिन जो दृश्य हम देखने को आतुर थे उसके आगे ये भीड़ और पसीना सब तुच्छ जैसा था। हम सभी लोग वीआईपी दीर्घा में ससम्मान बैठाए गए और वहां बैठकर हम लोगों ने जीवन के अलग अलग भाव, मनस्थिति, प्रेरणा, उत्साह, विभाजन का छोह को इतने निकट से महसूस कर रहे थे जैसे ये घटना 76 साल पुरानी नही बल्कि चंद दिनों पहले की हो। ये तीन घंटे हमारे लिए अनमोल थे, अतुलनीय थे, अकल्पनीय थे। सीमा सुरक्षा बल के जवान हमें उत्साहित करते, प्रेरित करते और हम गरजते रहते, नाचते रहते, झूमते रहते, खुश होते रहते। रंगारंग कार्यक्रम, मार्च पास्ट, ड्रिल, बैंड और अंत में तिरंगे को शान से उतारने का करतब इसके लिए सीमा सुरक्षा बल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो हम सभी के लिए गौरवशाली हैं, वैभवशाली है। हम उन्हे सलाम करते हुए अटारी बार्डर से वापस हुए।

लगभग रात में 9.30 बजे हम सब

पुनः होटल पहुंचे एवं शीघ्र ही निवृत होकर हम लोगों ने सात्विक एवं साधारण भोजन ग्रहण किया और तुरंत रात्रि विश्राम के लिए चले गए। इस तरह हमारे यात्रा का दूसरा दिन संपन्न हुआ।तीसरे दिन 13 अगस्त 2023 को हम सभी शीघ्र ही प्रातः स्नान ध्यान इत्यादि करके एक संक्षिप्त बैठक करने के उपरांत 9 बजे होटल द्वारा उपलब्ध कराए गए चाय एवं टोस्ट को भरपूर उदरस्थ किया और चल पड़े अपने तीसरे और आखिरी दिन के पड़ावों की तरफ। तीसरे दिन भी हम लोगो ने तीन प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया जो निम्नलिखित है।(१) दुर्गायना तीर्थ – सर्वप्रथम हम लोग दुर्गायना स्वर्ण तीर्थ पहुंचे यह मंदिर अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर जैसा ही दिखता है।

यह भी एक तालाब के बीच में स्थित है इसके शिखर भी स्वर्ण समान दिखते हैं। यह एक भव्य मंदिर है रविवार के दिन जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो सैकड़ों महिला एवं पुरुष रामायण का पाठ कर रहे थे उनका समर्पण देखने के लायक था वो सब राम नाम का रसास्वादन कर रहे थे और हम भी काफी देर तक उनकी धुन में धूनी रमाए रहे। मंदिर में मुख्य रूप से भगवान श्री राम एवं माता जानकी की मूर्तियां स्थापित है साथ में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में प्रसाद स्वरूप हम लोगो को खीर एवं खिचड़ी प्राप्त हुई जो अति स्वादिष्ट थी। मंदिर से बाहर निकलने पर प्रमुख रूप से शिव जी एवं हनुमान जी का मंदिर है जिसके वहा 700 साल पुराना होने का दावा किया जाता है, हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए एवं हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया। वहां से निकलकर हम लोग स्वर्ण मंदिर के लिए प्रस्थान किए।(२) स्वर्ण मंदिर – हमारा तीसरा दिन चुंकि रविवार था इसलिए ये दिन अमृतसर शहर के लिए एक व्यस्ततम दिन होता है और खासकर के स्वर्ण मंदिर के लिए क्योंकि इस दिन वहां सिर्फ स्थानीय नही बल्कि देश विदेश से लोग श्री हरमिंदर साहेब के दर्शनार्थ आते हैं। हम लोग लगभग चार घंटे लाइन में लगे रहे तब जाकर हमें गुरुद्वारा साहिब श्री हरमिंदर जी के दर्शन प्राप्त हुए। यहां ये बताना बहुत ही आवश्यक है की सिख समुदाय के लोगो की धर्म एवं मानवता के प्रति आस्था एवं समर्पण अलौकिक है एवं अदभुत हैं।

इतने बड़े धर्म स्थल को वहां के अनुशासित एवं समर्पित सेवादारों द्वारा जिस तरह से चलाया जाता है ये अपने आप में ही इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। गुरुद्वारे से निकलकर हम सब लोग लंगर भवन की तरफ गए वहां भरपेट स्वादिष्ट लंगर छका जिसमे रोटी, चावल, दाल, हलवा, अचार, खीर, कढ़ी इत्यादि स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन किया तत्पश्चात हम लोग अपने तीसरे दिन के तीसरे पड़ाव जलियांवालाबाग स्मारक की तरफ बढ़ चले।(३)– जलियावालाबाग स्मारक – बचपन से एक नाम जिसके नाम से शरीर में सिहरन हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, भाव संवेदना में गोते लगाने लगते है, विचार डगमगाने लगते है 'जलियावालाबाग', लाला लाजपत राय, जनरल डायर और शहीद ऊधम सिंह ये वो पात्र है जिनसे मिलकर संक्षिप्त रूप से जलियांवालाबाग बनता है। इन सबमें शहीद ऊधम सिंह के जुनून और जज्बे को ये देश कभी भूल नही सकता। एक व्यक्ति जिसके मन में अपनो की मौत का बदला एक ज्वाला बनकर तब तक धधकती रही जब वो सुदूर विदेश में जाकर जनरल डायर को खत्म नहीं कर देते। हम लोगो ने उन दीवारों को देखा उन्हें स्पर्श किया उस दर्द को स्पर्श किया, महसूस किया, कुवां देखा उसको देखते रहे और सोचते रहे उस दिन के बारे में। स्मारक निशुल्क है और काफी व्यवस्थित हैं।

वहां प्रतिदिन सायं एक लाइट शो भी आयोजित किया जाता है। स्मारक कई दीर्घाओं में बटा हुआं है जिसमे आजादी के संघर्षों एवं उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है। स्मारक एक प्रेरणा स्थल की तरह है और स्वतंत्रता संग्राम में आहूत हुए लोगो की पुण्यस्थली है वहा हर भारतीय को एक बार अवश्य जाना चाहिए जिससे वो अपनी आजादी की कीमत को समझ एवं महसूस कर सके।स्मारक से निकल कर हम सभी अपने अपने वाहन में बैठकर वापसी की तरफ चल पड़े। रास्तों में कई अल्प विराम एवं एक भोजन विराम के पश्चात हम सभी अल सुबह दिल्ली नगरी में प्रवेश किए। सभी को उनके आवास स्थल पर छोड़ते हुए मैं एवं डॉक्टर सुजीत मणि त्रिपाठी जी प्रातः पांच बजे अपने आवास इंदिरापुरम पहुंचे। यादें आजीवन मस्तिष्क पटल पर जीवित रहेंगे ऐसी अद्भुत एवं अविष्मरणीय यात्रा आयोजन के लिए पुनः सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रांत, डॉक्टरों श्याम नारायण पाण्डेय जी एवं श्री दिवाकर जी को धन्यवाद।

सीमा संवाद श्रृंखला : रिपोर्ट

विषय - आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका प्रभाव

स्थान : दिल्ली कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (डीसीएसी) मुख्य वक्ता : लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

संकलनकर्ता : राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी (सदस्य सीमा संघोष संपादकीय टोली, सीमा जागरण मंच)

प्रांत स्तरीय कार्यक्रम

दिनांक 27 अगस्त 2023 को सीमा जागरण मंच द्वारा दिल्ली कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (डीसीएसी) में दसवां सीमा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि सीमा जागरण मंच द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली प्रान्त द्वारा सीमा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजित होने वाले सीमा संवाद कार्यक्रम का विषय "आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका प्रभाव" पर आधारित था। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली तथा लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. एस. भदौरिया भी कार्यक्रम में मंच साझा किया।

प्रारंभ में लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी ने मंच संचालन प्रारम्भ किया तथा सीमा संवाद के पहले के हो चुके व्याख्यान के हवाले से आज के कार्यक्रम की प्रसंगिकता को चिन्हित किया तथा अब तक संपन्न हुए सभी सफल कार्यक्रम के लिए श्रोताओं और वक्ताओं का आभार भी ज्ञापित किया।

इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी ने श्रीमान मुरली जी को मंच पर आमंत्रित किया कि वे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत करें। बताते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम) भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त जनरल हैं। सेवा में उनका अंतिम कार्यभार भारतीय सेना के सैन्य सचिव के रूप में था। इससे पहले, उन्होंने अन्य नियुक्तियों के अलावा, जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय सेना की 15वीं कोर की कमान संभाली थी। उन्होंने 21 कोर (स्ट्राइक) की भी कमान संभाली है तथा वर्तमान में आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को उनके वक्तव्य हेतु उत्साह सहित उन्हें आमंत्रित किया।

उन्होंने बताया कि उनका वक्तव्य तीन पहलुओं जैसे सामान्य नजरिया, एनडीएमए क्या करता है? तथा जी–20 के लिए चुनौतियों पर केन्द्रित रहेगा।

आपदा क्या है?– इस बारे में बात करते हुए उन्होने बताया कि कोई भी ऐसी क्रिया जिससे समुदाय की आजीविका

प्रभावित होती है तथा लोग बिना किसी बाहरी सहायता के इससे उबर नहीं पाते। जैसे की बालासोर की रेल दुर्घटना को आपदा के रूप में देखा जा सकता है जिसमे बाहरी साहायता के बिना राहत कार्य संभव नही था।

पहले और अब के समय में आपदा को संभालने हेतु किए जाने वाले प्रयास में परिवर्तन आया है। पहले आपदा आती थी उसके पश्चात हम उसके निवारण में सक्रिय होते थे तथा कुछ समय बाद धीरे–धीरे इसका प्रभाव कम होता था। अब की स्थितियां कुछ और है हाल के कुछ वर्षों में होने वाली दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात अब हम कोशिश करते हैं कि आपदा का अनुमान लगाते हुए उसके प्रभाव को पहले ही न्यूनतम कर दिया जाए जिससे कि होने वाला नुकसान कम से कम हो।

पुनः सुधार की प्रक्रिया में यह ध्यान दिया जाता है कि स्थितियों में सुधार ऐसा किया जाए कि अवसंरचना अब पहले की अपेक्षा काफी मजबूत स्थिति में हो। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। पहले आपदा प्रबंधन कृषि मंत्रालय के तहत आता था परंतु इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए अब इसे गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। वर्ष 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया।

उन्होंने अभी बताया कि आपदा के कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा किस दृष्टि से प्रभावित होती हैस आपदा के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति पहुंचती है जिससे हमारी सकल घरेलू आय प्रभावित होती है। उत्पादकता में होने वाली इस हानि से सभी क्षेत्रों को आवंटित किए जाने वाले वित्तीय सहायता की समुचित आपूर्ति नहीं हो पाती। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में आने वाली प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के कारण होने वाली हानि को दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि लोगों और उनके जान–माल की सुरक्षा किस तरीके से भारतीय सरकार की प्राथमिकता का विषय बना हुआ है।

इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम ऐजंसियों और सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास मंत्रालय और मंत्रालय की तमाम अनुषंगी इकाइयों के माध्यम से किए जाने वाले धरातलीय प्रयास को भी रेखांकित किया।

आपका वक्तव्य काफी उत्साह जनक और आपदा को लेकर जनता को प्राप्त होने वाली तमाम जानकारी से परिपूर्ण था। इस कार्यक्रम में सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रांत के महामंत्री श्री दीप नारायण पाण्डेय जी तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अंत में लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली द्वारा मुख्य वक्ता को उनके द्वारा दिए गए शानदार वक्तव्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने समवेत स्वर में राष्ट्र गान गाया।

जय हिन्द!!!

सीमा पर हमारे जवानों ने इस तरह मनाया स्वतंत्रता दिवस